Whether Deptt./Office Annual Annual Income from Total Annual Income where serving Income other sources in service (Rs.) (Rs.) (Rs:) (7.)(8) (9)(10)(11)Details of Family Pension sanctioned Rs.\_\_\_\_ \_ per month sanctioned vide Order No. Dated. Whether the dependent of the deceased employee has applied for compassionate appointment? Details may be furnished. Details of applicant for C.F.A. (i) Name (ii) Father's/Husband's Name (iii) Address (iv) Savings Bank Account No. (v) Name of the Bank/Branch & address ate: ace: Signature or Thumb Impression of the Applicant or Guardian (in case of applicant is minor) This is to certify that the above particulars have been verified from the Service Book of late Shri and the same are correct to the best of my knowledge and belief. This is to certify that the above Compassionate Financial Assistance claim has not been preferred eviously.

cl.: Proforma alongwith encls.

> (Signature of the head of the office with rubber stamp)

## राज्य शासन के आदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2006

क्र. एफ 5-14-2005-3-पचपन.—ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट, 0 (1940 को केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23) की धारा 33 <sup>की</sup> उपधारा (4) एवं ड्रग एवं कास्मेटिक रूल 1945 के <sup>म,</sup> 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य ि, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 3008-4697-17 मेडि-भीपाल दिनांक 23 जुलाई 73 को अधिक्रमित करते हुये, द्वारा संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को ल प्रभाव से पदेन ड्रग कन्ट्रोलर (भारतीय चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी) नियुक्त करता है.

े एफ 5-14-2005-3-पचपन.— ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट <sup>के</sup> नियम 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, शासन, अधिसूचना दिनांक 23 जुलाई 73 को अधिक्रमित करते हुये डॉ. एम. के. बिरथरे, उपसंचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को उक्त नियमों के खण्ड XVI के प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश राज्य के लिये लाइसेंसिंग अथॉरिटी (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) एतदुद्वारा नियुक्त करता है.

क्र. एफ 5-14-2005-3-पचपन.—इंग एवं कास्मेटिक एक्ट 1940 (1940 का अधिनियम 23) की धारा 33जी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, डॉ. ए. डी. सिद्दीकी, अधीक्षक-सह-जिला आयुर्वेद अधिकारी, (प्रभारी उप संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म. प्र.) ५वं डॉ. ए. के. जैन, अधीक्षक सह जिला आयर्वेद अधिकारी, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य के लिये उक्त अधिनियमों के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा इग इंस्पेक्टर (औषधि निरीक्षक) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी नियुक्त करता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वाय. सत्यम, अपर सचिव.